राजस्थानउच्च न्यायालय

जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका नं. 11394/2019

सयार देवी पत्नी हुक्माराम , आयु लगभग 42 वर्ष, श्रमिकपुरा, मसूरिया, जिला जोधपुर-(राज.).

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव , स्थानीय स्वशासन विभाग, सचिवालय, जयपुर।

2. आयुक्त नगर निगम , जोधपुर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री हेमंत जैन, श्री लोकेश माथुर की ओर से।

प्रत्यर्थी(गण) के लिए : श्री सुनील पुरोहित।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

02/04/2025

1. हस्तगत याचिका के माध्यम से दिनांक 29.03.2019 (अनुलग्नक-3) के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की 'सफाई कर्मचारी' के पद पर अभ्यर्थिता इस आधार पर निरस्त कर दी गई थी कि याचिकाकर्ता विज्ञापन दिनांक 13.04.2018 में विहित अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुकी थी ।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थीगण ने विज्ञापन दिनांक 13.04.2018 द्वारा राजस्थान नगरपालिकाएँ (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 (संक्षेप में केवल 2012 के नियम) के अनुसार सफाई कर्मचारियों के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की।

पात्र होने से, याचिकाकर्ता ने सफाई कर्मचारी पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। सफल पाए जाने पर, उसे आदेश दिनांक 02.09.2018 द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया । हालांकि, आदेश दिनांक 29.03.2019 (अनु.3) द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द कर दी कि वह अधिक आयु की है।

3. प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने जवाब में लिया गया सुसंगत अभिमत यह है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 29.03.2019 के आदेश के विरुद्ध वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जिससे उसकी सेवाएं सफाई कर्मी के पद के लिए अधिक आयु होने तथा समिति की समीक्षा के दौरान मिथ्या या विरोधात्मक जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर समाप्त कर दी गईं। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से शर्त संख्या 3 में कहा गया था कि यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज या तथ्य झूठे पाये जाते हैं, तो बिना पूर्व सूचना के नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में जन्मतिथि 01.07.1977 उल्लिखित की और उसी तिथि की पुष्टि करते हुए दिनांक 10.11.1991 का सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, शेतरावा, जोधपुर का स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि, राजस्थान नगरपालिकाएँ (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 के अनुसार, आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की आयु शिथिलता सहित। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपने प्रमाण पत्र के आधार पर, वह आयु सीमा के मानदंड को पूरा नहीं करती। अतिरिक्त रूप से, याचिकाकर्ता ने ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया पर आवश्यक आवेदन शुल्क जमा करने में विफल रही। विज्ञापन दिनांक 13.04.2018 के अनुसार, शुल्क 100 रुपए था, पर याचिकाकर्ता ने केवल 50 रुपए जमा करवाए, जिससे अपर्याप्त भुगतान के कारण उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। विसंगतियों को स्पष्ट किये जाने का अवसर दिए जाने पर, याचिकाकर्ता संतोषप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। अतएव, याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है और मामले के अभिलेख तथा उसके साथ संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया है।

5. सर्वप्रथम एवं सर्वोपरि, मेरा ध्यान विज्ञापन के खंड-8 पर रहा है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद निम्नानुसार है:-

> *"8. स्थानीय स्व-शासन विभाग ने पहले स्वच्छता कर्मकारों की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 1/12 दिनांक 25.05.12 और 2/12 दिनांक 31.05.12 जारी किए थे। जिन नगरपालिकाओं में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी परंतु पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई, उन नगरपालिकाओं के संबंध में उपर्युक्त विज्ञापन संख्या 1/12 दिनांक 25.05.12 और 2/12 दिनांक 31.05.12 को रद्द करने के संबंध में विभाग द्वारा पृथक अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं। इन नगरपालिकाओं में उपर्युक्त विज्ञापनों के जवाब में प्रस्तुत किए गए आवेदनों को नए भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2018 में शामिल किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची संबंधित नगरपालिका निकाय के सूचना पट्ट पर 21.04.18 तक चस्पा कर दी जाएगी, और इन आवेदकों पर विहित आयु सीमा के भीतर विचार किया जाएगा तथा उनके आवेदनों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, और निर्णय संबंधित नगरपालिका द्वारा लिया जाएगा।"*

6. उपर्युक्त खंड का परिशीलन करने पर, मैं स्वयं को प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के उस सामान्यीकृत तर्क से आश्वस्त नहीं कर पा रहा हूँ कि उपर्युक्त खंड केवल उन अभ्यर्थियों पर लागू होता है जो चयन प्रक्रिया में सफल नहीं हुए थे। संक्षेप में कहें तो, यह तर्क अत्यंत मनमाना है, क्योंकि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी, जिसका अर्थ यह हुआ कि सफल और असफल दोनों अभ्यर्थियों की योग्यता पर अविश्वास किया गया। अतएव, चयन एजेंसी द्वारा की गई मनमानी और अनियमितताओं के कारण, जो चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची में थे, उनको वरीयता देना असफल अभ्यर्थियों के ऊपर उन्हें अनुचित लाभ प्रदान करने के समान होगा, जिन्हें उनकी किसी गलती के बिना अस्वीकृत किया गया हो सकता है, और यह अनुमति नहीं दी जा सकती।

6.1. पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि विज्ञापन का खंड 8 स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि पूर्व के विज्ञापनों (1/12 दिनांक 25.05.2012 और 2/12 दिनांक 31.05.2012) के जवाब में प्रस्तुत किए गए आवेदनों को नए भर्ती प्रक्रिया (विज्ञापन संख्या 1/2018) में अग्रनीत किया जाएगा, बिना यह विभेद किए कि पिछले चयन में अभ्यर्थी सफल थे या असफल। प्रत्यर्थीगण की दलील— कि खंड 8 केवल असफल अभ्यर्थियों पर लागू होता है — कानूनी और तार्किक दोनों प्रकार की त्रुटि से ग्रस्त है। पूर्व में "चयनित" अभ्यर्थियों को

लगातार प्राथमिकता देना दूषित योग्यता सूची को पुनर्जीवित करने के समान होगा, जो रद्दकरण के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है।

7. रिक्त पद के संबंध में, यह पता चलता है कि 01.08.2019 दिनांक के अंतरिम आदेश द्वारा, प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया गया था कि वे उस पद को न भरें जो याचिकाकर्ता की नियुक्ति के रद्दकरण के परिणामस्वरूप रिक्त हुआ।

8. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता जो स्वीकार्य रूप से चयन प्रक्रिया में सफल रही है, उसे उक्त खंड के निबंधनों के अनुसार आयु में शिथिलता का लाभ दिया जाना चाहिए।

9. इस पृष्ठभूमि में, याचिका स्वीकार की जाती है। आदेश दिनांकित 29.03.2019 (अनु. 3) रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को इस आदेश का वेब-प्रिंट लेकर सक्षम प्राधिकारी के पास पहुँचने की तिथि से 30 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करें।

10. कहने की आवश्यकता नहीं है, याचिकाकर्ता उनके समकक्षों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठता सहित सभी परिकल्पित लाभों के हकदार होंगे। हालाँकि, वह 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर मौद्रिक लाभ की हकदार नहीं होगी।

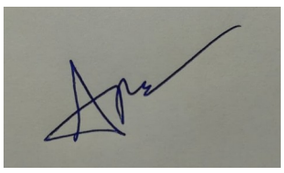
11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो , निस्तारित किये जाते है।

(अरुण मोंगा),जे

92-जितेंद्र/सुमित/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है:- हाँ / नहीं

अस्वीकरण– इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारीक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



आदित्यप्रताप सिंह निरवान